

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
प्रदूषण नियंत्रण परिषद ई-5 अरसा कालोनी, भोपाल - 46

क्रमांक 383 विधि/प्रनिबो/11,

भोपाल, दिनांक 24/10/2011,

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
ग्वालियर, भोपाल, इन्दौर, धार, विजयपुर, सिंगरौली
सतना, रीवा, सागर, जबलपुर, उज्जैन, शहडोल ।

अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री 1,2,3,4,5
वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी खतरनाक रसायन प्रबंधन शाखा
केन्द्रीय प्रयोगशाला,
मुख्य रसायन जन सर्म्पक शाखा/
मॉनिटरिंग शाखा बायोमेडीकल शाखा/
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

विषय:- बोर्ड द्वारा जल एवं वायु सम्मति/प्राधिकार नवीनीकरण अवधि हेतु म.प्र.
राजपत्र में जारी सूचना।

राज्य बोर्ड की 126 वीं बैठक दिनांक 13/7/11 में लिये गये निर्णय
अनुसार बोर्ड द्वारा संयुक्त सम्मति/प्राधिकार प्रक्रिया लागू किये जाने हेतु विकसित
एक्सजीएन साफ्टवेयर लागू किया गया है जिसमें सम्मति/प्राधिकार विधिक रूप से
5-5 वर्ष की अवधि हेतु सिंक्रोनाइजेशन किये जाने हेतु म.प्र.राजपत्र में दिनांक
30/9/11 को जारी सूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(आर.के.जैन)
सदस्य सचिव

हाकेंधिय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत,
अनुमति-पत्र, ग्वालियर सम्भाग,
एम. पी.-19-ग्वालियर- 2011-13.



पंजी. क्र. ग्वालियर डिबीजन
एम. पी.-19-ग्वालियर-2011-13

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 सितम्बर 2011-आश्विन 8, शके 1933

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश प्रदूषण निवंत्रण बोर्ड

ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

क्र./स्था/प्रनिबो/11.—राज्य बोर्ड की 126वाँ बैठक दिनांक 13 जुलाई, 2011 में लिये गये निर्णय अनुसार बोर्ड द्वारा संयुक्त सम्मति/प्राधिकार प्रक्रिया लागू किये जाने हेतु राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की गुजरात इकाई द्वारा विकसित एक्सजीएन साफ्टवेयर को लागू किया गया है, जिसमें सम्मति/प्राधिकार विधिक रूप से 5-5 वर्ष की अवधि हेतु सिक्रोनाईजेशन किये जाने की दृष्टि से जल अधिनियम, 1974 की धारा-25 (4), (III), वायु अधिनियम, 1981 की धारा-21 (4), (VI) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 19506,

दिनांक 22 नवम्बर, 2002 में संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संबंधितों को दी जाने वाली जल एवं वायु सम्मति का आगामी अवधि के नवीनीकरण हेतु विचार योग्य अधिकतम समब-सीमा का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.	बृहद्/मध्यम एवं लघु श्रेणी के उद्योग/ प्रदूषण जनक गतिविधियाँ	सम्मति/आगामी नवीनीकरण की अधिकतम अवधि
1.	लाल एवं नारंगी	5 वर्ष
2.	हरी	5/10 वर्ष

उद्योग/संस्थानों को प्रदान की जाने वाली सम्मति/नवीनीकरण अवधि को प्राधिकार की अवधि से सिंक्रोनाईज करने हेतु सम्मति/नवीनीकरण शुल्क वार्षिक अवधि के सापेक्ष अनुपातिक रूप से ली जावेगी.

(726-1)

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से
तथा आदेशानुसार
आर. के. जैन,
सदस्य सचिव.